

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
(राज्य शिक्षा अनियम)

पत्रांक 640 /

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक,

विद्यालय बच्चों स्कूल
कालमावाग - चौक
मुजफ्फरपुर

विषय:

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अंतर्गत विद्यालय की प्रसवीकृति का प्रमाण-पत्र।

मुज0, दिनांक 23.03.2020

महोदय/महोदय,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक 17-02-2022 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय विद्यालय बच्चों स्कूल कालमावाग - चौक मुजफ्फरपुर कक्षा-1 से VIII तक संचालन हेतु तीन वर्षों 2019-20 से 2021-22 अवधि के लिए औपचारिक प्रसवीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी:

1. प्रसवीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-01) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-02) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा-1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अल्पकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस नामक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा-3 में उद्यत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की उम्मीदारी राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।
5. सॉफ्टवेयर/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कॅम्पिटेशन कीरा नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्कीमिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उस प्रमाण-पत्र के अनुपालन में नामांकन की निरस्तित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों से इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इस्काफ नहीं कर सकेगा।

अध्यक्ष

7. विद्यालय के वन-विनियम कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे-
- किसी भी बच्चे को किसी भी काम में संलग्न नहीं करा जाएगा और न ही किसी न्युनकृत बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निकालित किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
 - किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षकों, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें।
 - शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों को दायित्व का निर्वाहन करेंगे।
 - शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित माध्यक्रम एवं माध्यचर्या का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत है-
- विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल,
कुल निर्मित क्षेत्र,
खेल के मैदान का क्षेत्र,
वर्गिकक्षा की कुल संख्या,
प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष,
भालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय,
पेयजल की सुविधा,
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर
बच्चारहित पहुँच,
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय
11. कोई भी अपस्ट्रैकूल वर्गिकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत सिद्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी प्रकृतिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के तथा अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के नाम के लिए संचालित नहीं होगा।

(3)

15. लेखा का अंकक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रतीकृति कोड संख्या RT E/AFF/MPT-2019-20/ C-5 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का संचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
17. निदेशक प्राथमिक शिक्षा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर भौग किर गार प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रतीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संवाहन से संबंधित कठिनाईयाँ को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो इसे सुनिश्चित किया जाए।
19. अनुलग्नक-III के रूप में संलग्न अन्ध शर्तें।

(अनरेन्द्र कुमार पाण्डेय)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान,
बिहार शिक्षा परियोजना,
मुजफ्फरपुर

23/3/2020

(डॉ. विमल लकुर)

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।